

श्री महेश-चौधरी
13/08/2021



राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा (गुप-3) विभाग

ईमेल- higheredu3@rajasthan.gov.in दूरभाष-0141-5153222/ 5153223/ 5153660 (मॉड नं.24870)

क्रमांक प. 1(17)शिक्षा/गुप-3/2018

जयपुर, दिनांक-13.08.2021

SDARN
13/08

आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) के निम्नांकित प्राचार्य/उपाचार्य का उनके नाम के सम्मुख अंकित महाविद्यालय में स्थानान्तरण/पदस्थापन एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से किया जाता है :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम (डॉ./सुश्री/श्री/श्रीमती)	कहाँ से (राजकीय महाविद्यालय)	कहाँ को (राजकीय महाविद्यालय)	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	रूपनारायण सोनी	कन्या, झालावाड	कन्या, बूदी	रिक्त पद पर
2	कजोड मल मीना	धानागाजी, अलवर	राजगढ़, अलवर	अनिल कुमार जैन के स्थान पर प्राचार्य पद के विरुद्ध
3	अनिल कुमार जैन	राजगढ़, अलवर	धानागाजी, अलवर	कजोड मल मीना के स्थान पर
4	कल्याण सहाय रावत	पाली	टोडाभीम, करौली	रिक्त पद पर
5	चेतन प्रकाश	डेगाना, नागौर	पुष्कर, अजमेर	मंजुला मिश्रा के स्थान पर
6	मंजुला मिश्रा	पुष्कर, अजमेर	जायल, नागौर	रिक्त पद पर
7	रचना तैलंग	देवगढ़, राजसमन्द	राजसमन्द	रिक्त पद पर
8	सतीश सारस्वत	कनवास, कोटा	बूदी	रिक्त पद पर
9	वन्दना गोविल	करेडा, भीलवाडा	नसीराबाद, अजमेर	रिक्त पद पर
10	रेखा शर्मा	कला, अलवर	कन्या, अलवर	रिक्त पद पर
11	अमिता सारस्वत	बहरोड, अलवर	तिजारा, अलवर	रिक्त पद पर

उक्त क्रम संख्या-2, 6 एवं 11 पर अंकित अधिकारियों का स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रशासनिक आधार पर किया गया है। उक्त अधिकारी अपने नवीन पदस्थापन स्थान पर तत्काल कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण रिपोर्ट इस विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

राज्यपाल की आज्ञा से

(संजय शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग।
3. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. संबंधित महाविद्यालय/अधिकारी।
5. रक्षित पत्रावली।

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

शासन उप सचिव

क्रमांक-एफ.1(02)पीएस/आकाशि/21/1328

दिनांक: 14.08.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, राज्यमंत्री, उच्च शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग।
3. शासन उप सचिव, शिक्षा (गुप-3) विभाग।
4. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
5. प्राचार्य/उपाचार्य, संबंधित महाविद्यालय को प्रेषित कर लेख है कि वे नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर कार्यग्रहण रिपोर्ट अविलम्ब आयुक्तालय को प्रेषित करें।
6. वेबसाइट प्रभारी को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।
7. रक्षित पत्रावली।

14/08/2021

(डॉ. आर. सी. मीना)
संयुक्त निदेशक(एचआरडी)